भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 822**
दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**जेजेएम के अंतर्गत नल जल कनेक्शन वाले घर**

**822. श्री राजकुमार रोतः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत नल जल कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु लक्षित कुल घरों की संख्या कितनी है तथा देश में अब तक पूर्णतः नल जल कनेक्शन प्रदान किये गये घरों की संख्या कितनी है;
(ख) उक्त मिशन के अन्तर्गत अब तक किये गये व्यय का वर्ष, श्रेणी तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) बांसवाड़ा - डूंगरपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त मिशन के अंतर्गत कितने प्रतिशत घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं;
(घ) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में स्वीकृत सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात भी कितने परिवार नल जल कनेक्शन से वंचित रह जायेंगे तथा उनका खंड-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) जेजेएम के अंतर्गत अभी तक नल जल कनेक्शन से वंचित घरों को कनेक्शन देने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है; और
(च) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रति परिवार कितनी राशि ली जाने की संभावना है तथा अनुमानित मासिक बिल का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार, प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए राज्यों की भागीदारी से अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का क्रियान्वयन कर रही है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 01.12.2025 की स्थिति

के अनुसार, लगभग 12.51 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 01.12.2025 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.75 करोड़ (81.36%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(ख): जेजेएम के तहत केंद्र और राज्य के हिस्से के संसूचित उपयोग का विवरण, राज्य-वार, वर्ष-वार और श्रेणी-वार, जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, जिसे नीचे दिए गए वेबलिंक का उपयोग करके देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

(ग): जेजेएम के तहत प्रदान किए गए नल कनेक्शनों का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में जेजेएम के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की जिला-वार संख्या निम्नानुसार है:

| **जिला** | **ग्रामीण परिवारों की संख्या** | **15.08.2019 तक नल जल कनेक्शन** | | **01.12.2025 तक नल जल कनेक्शन** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **संख्या** | **%** | **संख्या** | **%** |
| बांसवाड़ा | 3,87,971 | 14,712 | 3.79 | 1,40,854 | 36.31 |
| डुंगरपुर | 3,07,166 | 11,040 | 3.59 | 97,706 | 31.81 |

(घ) और (ङ): दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा सुपुदर्गी के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025 के दौरान जेजेएम को संवर्धित परिव्यय के साथ 2028 तक विस्तार प्रदान करने की घोषणा की थी।

(च): 'पेयजल' राज्य का विषय है, और इसलिए, जेजेएम के तहत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी को योजनाओं को सौंपने, उन्हें उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के लिए सशक्त बनाने, उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के लिए महिला एसएचजी को शामिल करने और ओ एंड एम करने के लिए एक व्यापक संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) नीति लागू करें तथा ओ एंड एम का पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करें।

*****